

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यापालक दण्डनायक  
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी



क्रमांक : प.सुगम/जा.पं./2011 / 9570

दिनांक 08/09/2011

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री/सुश्री/श्रीमती मनीषा परिहार  
पुत्र/पुत्री रामहैत सिंह मीणा  
निवासी स्वरुपगढ  
जिला/डिविजन बून्दी राज्य/संघ राज्य- राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी/प्रार्थीनी जाति/समुदाय  
का है जिसे निम्नांकित अनुसार अनुसूचित जनजाति  
जो अनुसूचित जनजाति की सूची संख्या में क्रम सं.

मीना  
के रूप मान्यता दी गयी है।  
9 पर दर्ज है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950  
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950  
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951  
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951  
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956  
बम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966,  
हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा-  
-अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार  
संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956  
अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान-  
-(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959  
संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962  
संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962  
संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964  
संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967  
संविधान (गोवा, दमन तथा दोव) अनुसूचित जाति आदेश 1968  
संविधान (गोवा, दमन तथा दोव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968  
संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970  
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978  
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978  
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969  
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991  
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री/सूश्री/श्रीमती  
जाति  
जिला/डिविजन



मनीषा परिहार  
मीना  
बून्दी

पुत्र/पुत्री श्री  
निवासी  
राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

रामहैत सिंह मीणा,  
स्वरुपगढ

स्थान : हिण्डोली  
दिनांक : 08/09/2011

तहसीलदार हिण्डोली  
हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर  
जिला बून्दी (राज.)

यहाँ प्रयुक्त हुये "साधारण तौर से निवास" शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।